

16-9-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में 'बाड़ी लख'

जोतिबाड़ी वकिल उपस्थित हुये। पत्रावली में

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विवाद

गहन भूमि मौजा खुटवाडा परवाल हलका

मालादा कि वृद्धि आराजी में दोनों पक्षसमूह

खाला हल है। उसका सब काद अन्तर्गत

वारा 188 रि. न. अक्ट. के अन्तर्गत आया

में विचारणीय है प्राचीन पत्र का अन्तर्गत

विषय गहन - विस्तार -

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
हुकम की तामील

सब दोनो पक्षा की कहना पर मता कय पर  
आदेश दिया जात है कि दोनो पक्ष गदगद  
भूमि <sup>मौला की रिपोर्ट</sup> कि रिक्साती प्रभाव बनाये रखे ।  
सब मुल काय के निस्तारण तक जोरिये अस्ताई  
निषेधाज्ञा के पाबन्द दिया जात है जावली  
फैसल सुमा होकर नम्बर के कम होवे तथा  
मुल काय का के साथ तली हो

अद्वैत अधिकारी  
दरवाजा सि जयपुर